

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 15.03.2026

जान से मारने की धमकी देकर पैसे लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4600 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में व विजय प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2026 धारा धारा 308(5),351(2),352,317(2) बीएनएस से अभियुक्त आकाश यादव पुत्र परशुराम यादव निवासी खैरटिया थाना चौरा खास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

मुकदमा वादी द्वारा दिनांक 14.03.2026 को थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा फोन पर वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी व धमकी देकर पैसे ले लिया गया, जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, व आपराधिक इतिहास-

आकाश यादव पुत्र परशुराम यादव निवासी खैरटिया थाना चौरा खास जनपद कुशीनगर
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 09/2024 धारा 504,507 भादवि थाना गोरखनाथ,गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 348/2024 धारा 504,506 भादवि,66ई,67 आईटी एक्ट थाना गोरखनाथ,गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 439/2024 धारा 109(1),115(2),117(2),124(2),333,61(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 106/2026 धारा 351(3) बीएनएस थाना गोरखनाथ,जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 112/2026 धारा धारा 308(5),351(2), 352, 317(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ,जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

4600 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रुपेश कुमार पाल थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. म0उ0नि0 रंजना यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. का0 ऋतुबसंत सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. का0 जितेन्द्र मौर्या थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर